न्यायालय :- माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R-4086-I-16 (180)

रामगोपाल तनय निरपत सिंह दांगी ठाकुर
निवासी ग्राम टेहरी तह० बीना जिला सागर म.प्र.

– पुनरीक्षणकर्ता

//विरुद्ध//

देवकीनंदन तनय प्यारेलाल तिवारी
निवासी ग्राम टेहरी (टपरा) तह० बीना जिला सागर म.प्र.

– अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

पुनरीक्षणकर्ता इस पुनरीक्षण आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बना जिला सागर के अपील प्रकरण क्रमांक 48अ/6 वर्ष 2014-15 पक्षकार देवकीनंदन विरुद्ध रामगोपाल से पारित आदेश दिनांक 28.09.2016 से दुखित होकर अन्य आधारो सहित निम्न लिखित आधारो पर प्रस्तुत करता है :-

//संक्षिप्त विवरण//

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता से अनावेदक के स्वामित्व व कब्जे की भूमि खसरा नंबर 671/1 मे से 0.80 हेक्टे. स्थित ग्राम देहरी पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 30.07.2002 से क्रय करके कब्जा मालकाना व खास प्राप्त किया था।

2. यह कि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पुनरीक्षण कर्ता का नामांतरण संशोधन पंजी क्रमांक 19 ग्राम देहरी आदेश दिनांक 23.06.2003 से राजस्व अभिलेख पर लिया गया।

3. यह कि संशोधन पंजी मे पारित उक्त आदेश के विरुद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी बना जिला सागर के

23 NOV 2016

B.O.R.

112
29.11.16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4086—एक/2016 जिला सागर

रामगोपाल विरूद्ध देवकीनंदन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07—3—2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बीना जिला सागर के प्रकरण कमांक 48/अ—6/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 28—9—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 6—5—2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 07/3/19	